

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र Nuclear Fuel Complex  
सीएचएसएस अनुभाग CHSS Section

ईसीआईएल डाकघर ECIL Post  
हैदराबाद Hyderabad-500062

सं Ref: NFC/Admn/CHSS/2019/184

अगस्त August 27, 2019

विषय: सेवानिवृत्त लाभ से सीएचएसएस की आजीवन सदस्यता के लिए अंशदान की वसूली के संबंध में  
Sub: Recovery of CHSS Life member subscription from retirement benefits - Reg

\*\*\*

वर्तमान में, सीएचएसएस की आजीवन सदस्यता के लिए अंशदान सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के सेवानिवृत्त लाभ से इस प्रयोजन हेतु वसूल किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 से, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्त लाभ को छूट के साथ-साथ आयकर हेतु सकल आय में शामिल किया जाना है और इसे आयकर फार्म-16 में दर्शाया जाना है। Presently, CHSS Life membership subscription is being recovered at the instance of retiring employees from retirement benefits. From the FY 2018-19 onwards, the retirement benefits paid to the retirees are to be included in Gross Salary for Income Tax as well as exemption and have to be shown in IT Form-16.

2. सीएचएसएस की आजीवन सदस्यता के लिए अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत वर्ष में अधिकतम रु. 25,000/- तक आयकर छूट हेतु पात्र है। इसके अतिरिक्त, करदाता द्वारा किसी वैध पॉलिसी हेतु एक वर्ष से अधिक के लिए एक एकल वर्ष में प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त में कर दिए जाने के मामले में, वह धारा 80 डी के तहत राशि के उपयुक्त भाग के समान कटौती का दावा कर सकता है। The CHSS Lifetime membership subscription is eligible for IT exemption up to a max. of Rs.25,000/- under Section 80 D of IT Act annually. Further, in case any taxpayer has made a lump sum premium payment in a single year for a policy valid for more than one year, he can claim a deduction equal to the appropriate fraction of the amount under Section 80 D.

3. उपर्युक्त के अनुसार, यदि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान किए जाने के मामले में, वह बाद के वर्षों में शेष राशि के लिए "छूट का लाभ" ले सकता है। यदि यह सेवानिवृत्त लाभ से वसूल किया जाता है तो, अंशदान की संपूर्ण राशि आयकर फार्म-16 में दर्शायी जानी है और सेवानिवृत्त कर्मचारी बाद के वर्षों में "छूट के लिए दावा" नहीं कर सकता है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 डी (2बी) के अनुसार निवारक स्वास्थ्य चेकअप को छोड़कर चिकित्सा बीमा संबंधी सभी भुगतान नकद रूप के अलावा किए जाने होंगे। According to the above, in case retirees pays the subscription through cheque, he / she can "avail exemption" for balance amount in the subsequent years. In case it is recovered from retirement benefits, entire amount of subscription is shown in IT Form-16 and retiree "cannot claim exemption" in the subsequent years. Further, it is also to state that as per Sec. 80 D(2B) (ii) of IT Act all payment of medical insurances shall be paid in other than cash mode except for preventive health check-up.

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के बाद सीएचएसएस की आजीवन सदस्यता की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार "कर छूट" का लाभ लेने के लिए भुगतान एवं लेखा अधिकारी, नाईस हैदराबाद के नाम पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान हेतु सीएचएसएस अनुभाग, नाईस को सीधे भेज दें।

In view of the above, the employees who would like to avail the CHSS Life membership facility after their retirement are requested to make payment by way of D.D drawn in favour of PAO, NFC, Hyderabad to the CHSS section, NFC directly to avail the "tax exemption" as mentioned in the above.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। This issues with the approval of Competent Authority and will come into force with immediate effect.

  
(नागार्जुन प्रसाद Nagarjuna Prasad)

प्रशासनिक अधिकारी Administrative Officer-III

सभी संयंत्र / अनुभाग All Plants /Sections

सभी सूचनापट्ट/All Notice Boards

- प्रतिलिपि Copy to:**
- 1) मुख्य कार्यपालक, नाईस Chief Executive, NFC - for kind information.
  - 2) मुख्य कार्यपालक, नाईस के कार्यकारी सलाहकार  
Executive Advisor to CE, NFC
  - 3) सभी उप मुख्य कार्यपालकगण/ महा.प्रबं.गण/ व.उप महा.प्रबं.गण/उप  
मु.अभि./पीडी/ उप महा.प्रबं.गण /अ.महाप्र.गण/व.प्रबं.गण/  
व.अधी.अभि.गण सीएमएस/ प्रबं.गण/व.का. अभि.गण/ क्षे.नि./  
सं.नि.(वि. एवं ले.)/उ.ले.नि.गण/ले.अ.गण/औ.सं.अधि./ज.सं.अ./उ.नि.(राभा.)  
All DCEs/GMs/Sr.DGMs/Dy.Chief Engg./PD/DGMs  
AGMs/SMs/SSEs/CMS/Mgrs/SEs/SEEs  
RD/JC(F&A)/DCAs/AOs/IRO/PRO/DD(OL)
  - 4) महा.प्रबं.(जेडसीपी), नाईस -कोटाGM, ZC(P) / PD, NFC- Kota
  - 5) महासचिव, नाईस औ.का.संघ , नाईस पर्य.कर्म.संघ ,नाईस वैज्ञा.सहा.संघ,  
नाईस औ.का.संघ, Gen.Secretary, NUFCOSSA / NFCSSAA / NFCIWU
  - 6) अध्यक्ष,नाईस अधिकारी संघ President, NUFCSOA